बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,
Bihar State Tourism Development Corporation Ltd.
वीरचन्द पटेल पथ / Beerchand Patel Path, पटना / Patna- 800 001
दूरभाष / Phone :- +91-612-2222622 फैक्स नं0 / Fax No:- 0612-2506218
web : www.bstdc.gov.in E-mail : contact@bstdc.gov.in

BSTDC

सं0सं0–183/16/टी0टी0/918/17 दिनांक– 12.10.17

निविदा आमंत्रण सूचना

सोनपुर मेला 2017 (02.11.2017 से 03.12.2017) के अवसर पर लाइसेन्स के आधार पर कैटरिंग की व्यवस्था करने हेतु निविदा दो लिफाफे के माध्यम से आमंत्रित की जाती है । प्रथम लिफाफे में निविदादाता द्वारा रेस्तराँ/कैफेटेरिया/कैटीन चलाने का अनुभव क्रेडेंशियल्स इत्यादि प्रदान किया जाएगा । दूसरे लिफाफे में दर प्रदान किया जायेगा।

सम्पदा का नाम	अर्नेस्ट मनी की राशि
सोनपुर मेला 2017 (02.11.2017 से 03.12. 2017) के अवसर पर पर्यटक ग्राम, सोनपुर में भोजन, नास्ता, चाय आदि की व्यवस्था ।	रू0– 10,000,00/– (दस हजार रू0) बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर भुगतेय बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉ0 लि0, पटना होगा ।

निविदा नियमावली होटल कौटिल्या विहार, पटना में रू0–200/– (दो सौ रूपये) मात्र नगद के भुगतान पर दिनांक–**23.10.2017** के अपराह्न **2:00 P.M.** बजे तक प्राप्त किया जा सकता है । या Internet से Down Load किया जा सकता है । इसके साथ रू0–200/– (दो सौ रूपये) मात्र का Demand Draft Infavour बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉ0 लि0, पटना के नाम देय होगा । निविदा समर्पित करने की तिथि –**24.10.2017** को अपराह्न **2:00** P.M. बजे है । निविदा उसी दिन **4:30 P.M**. बजे निविदादाताओं के समक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी । सभी ऑफरो को स्वीकृति/अस्वीकृत करने का विचार निगम के पास सुरक्षित रहेगा । कार्य आदेश निर्गत करने के पश्चात् यदि कार्य आरंभ नही किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अर्नेस्ट राशि एवं अन्य राशि जब्त कर ली जाएगी । भविष्य में कोई दावा मान्य नही होगा।

यह निविदा निगम के बेवसाईट :– **bstdc.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता है ।

ह0/–
प्रबंध निदेशक

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,
Bihar State Tourism Development Corporation Ltd.
वीरचन्द पटेल पथ / Beerchand Patel Path, पटना / Patna- 800 001
दूरभाष / Phone :- +91-612-2222622 फैक्स नं० / Fax No:- 0612-2506218
web : www.bstdc.gov.in E-mail : contact@bstdc.gov.in

निविदा नियमावली

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉ0 लि0 पर्यटक ग्राम सोनपुर मेला के लिए निम्न उल्लेखित अवधि के लिए कैटरिंग संचालन हेतु निविदा दो लिफाफा के माध्यम से आमंत्रित की जाती है । प्रथम लिफाफा में निविदादाताओं का अच्छे स्तर पर कैटरिंग/रेस्तरा चलाने का दक्षता/अनुभव और रेकार्ड का आवश्यक कागजातों के साथ विभिन्न कैटेगरी के कर्मचारियों की विवरणी, चरित्र प्रमाण पत्र इत्यादि रहेंगे तथा दूसरे लिफाफा में दर बिक्री कर, आयकर जमा करने की विवरणी आवश्यक कागजातो के साथ प्रेषित किये जायेंगे । दोनों लिफाफा में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होगा, लिफाफा नं0–01 एवं लिफाफा नं0–02, दोनों लिफाफा को बडे. लिफाफा में मुहरबंद कर डाले जायेगे ।

सम्पदा का नाम	अर्नेस्ट मनी की राशि
सोनपुर मेला 2017 (02.11.2017 से 03.12. 2017) के अवसर पर पर्यटक ग्राम, सोनपुर में भोजन, नाश्ता, चाय आदि की व्यवस्था ।	रू0– 10,000.00/– (दस हजार रू0) बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर भुगतेय बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉ0 लि0, पटना होगा ।

निविदा निर्धारित अर्नेस्ट मनी के साथ दिनांक–**24.10.17** को **3:00** बजे अपराह्न तक जमा किया जा सकता है, जिसे उसी दिन अपराह्न **04:30** बजे खोला जायेगा एवं आवश्यकतानुसार स्पर्धा के आधार पर दरवार्ता किया जायेगा । सभी ऑफर को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने प्रतिस्पर्धा के आधार पर दर वार्ता करने अधिकार निगम के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा ।

नोट :– निविदायें यथावत् स्थिति अर्थात् (As is where is) "जैसा है जहाँ है" के आधार पर आमंत्रित की गई है । अतः ऑफरकर्त्ता आवश्यक समझें तो संबंधित ईकाई का निरीक्षण के पश्चात् अपना ऑफर निर्धारित तिथि के अन्दर दे सकते है ।

ऑफर समर्पित करने की प्रक्रिया :–

निविदा निर्धारित प्रपत्र (इस नियमावली के साथ संलग्न) में भरकर मुहरबंद लिफाफे में दिया जाना है, जिस कार्य के लिये ऑफर दिया जा रहा है, उसका नाम स्पष्ट रूप से लिफाफा पर अंकित रहना चाहिये ।

लिफाफा नं0 :– (I) इस लिफाफा में संलग्न प्रपत्र 'क' के अनुसार विवरणी प्रेषित की जायेगी ।
लिफाफा नं0 :– (II) इस लिफाफा में संलग्न प्रपत्र 'ख' के अनुसार निगम को आय स्वरूप प्राप्त होनेवाली कमीशन का प्रतिशत प्रेषित की जायेगी ।

1. अर्नेस्ट मनी की राशि नगद (बैकिंग समय में) अथवा बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर भुगतेय बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉ0 लि0, पटना के नाम देय होगा ।
2. सम्पति यथावत् स्थिति में आवंटित किया जायेगा तथा वापसी के समय जिस स्थिति में उन्हें आवंटित किया गया है उसी स्थिति में वापस किया जाना है ।
3. वर्णित सम्पति का लाईसेंस नियमानुसार व्यवसायिक आधार पर यात्रियों/पर्यटकों के लिए किया जायेगा ।
   (क) द्वितीय पक्ष द्वारा वर्णित सम्पति के अनुज्ञप्ति अवधि के लिए लाईसेंस की राशि के विरूद्ध जमानत के रूप में अर्नेस्ट मनी की राशि जमा रखी जायेगी ।
   (ख) सफल निविदादाता निर्धारित अवधि के संचालन के लिए आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात् अविलम्ब अपना सहमति पत्र निगम को समर्पित करेंगे ।
   (ग) अनुज्ञप्ति की शर्तो के उल्लंघन को इस अनुज्ञप्ति की शर्तो के अनुरूप अन्य कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

4. यदि लाईसेंसधारी निर्धारित अविध में सुव्यवस्थित ढ़ंग से कार्यो का निष्पादन नहीं करते है, तो वैसी स्थिति में अर्थात् बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉ0 लि0 को निम्न प्रकार से कार्रवाई करने का अधिकार होगा ।

(क) लाईसेंसधारी का लाईसेंस बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉ0 लि0 रद्द कर देगा।

(ख) बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉ0 लि0 जमा गारंटी राषि को जब्त कर लेगा ।

(ग) प्रथम पक्ष अर्थात बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉ0 लि0 द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थातलाईसेंसधारी के द्वारा वर्णित सम्पति में रखे सभी सामानों एवं उपस्करों को जब्त कर लिया जायेगा ।

(घ) प्रथम पक्ष अर्थात् बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉ0 लि0 द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थात् लाईसेंसधारी को ब्लैकलिस्ट कर देगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा निकाले गये किसी निविदा में उन्हें भाग लेने नही दिया जायेगा ।

5. सफल निविदादाताओं में यदि लाईसेंसधारी निर्धारित अवधि में कार्य सम्पन्न नही करते है, तो उस स्थिति में निम्न प्रकार से कार्रवाई की जायेगी ।

(क) आवंटी का लाईसेंस रद्द कर अर्नेस्ट मनी की राशि जब्त कर ली जायेगी । इसके अतिरिक्त ईकाई में रखे हुए सभी सामानों/उपस्करों को जब्त कर रखा जायेगा ।

(ख) आवंटी का ब्लैकलिस्ट करते हुए भविष्य में निगम द्वारा निकाले गये किसी भी निविदा में भाग लेने नही दिया जायेगा ।

6. लाईसेंसधारी आवंटित स्थल में किसी प्रकार के गैर कानूनी/प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं करेंगे एवं परिसर का उपयोग सिर्फ पर्यटन व्यवसाय हेतु करेंगे । जिसके लिये उन्हें आवंटित किया गया है । आवंटन प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी इसे संचालन की स्थिति में रखेंगे, इसे बन्द कर नहीं रखेंगे ।

7. लाईसेंसधारी द्वारा आवश्यक उपस्करों, फर्नीचरों, बर्त्तन क्रोकरी आदि की व्यवस्था अपने खर्च पर किया जायेगा । निगम द्वारा निर्धारित जगह छोड़कर अन्य किसी भी जगह में लाईसेंसधारी द्वारा साईनबोर्ड अथवा किसी प्रकार का प्रचार–पटल नही रखा जायेगा और न ही आवंटित क्षेत्र के अतिरिक्त किसी जगह पर कब्जा किया जायेगा ।

8. लाईसेंसधारी आवंटित सम्पदा के आंतरिक जल निकासी पानी का पाईप बिजली के तारों एवं अन्य सिवरेज की व्यवस्था अपने खर्च पर ठीक रखना सुनिष्चित करेंगे । सम्पदा के परिसर एवं इसके आस–पास के क्षेत्र को स्वच्छ रखेंगे ।

9. लाईसेंसधारी द्वारा लाईसेंस अवधि में सभी प्रकार के सौन्दर्यीकरण एवं सामान्य रख–रखाव का कार्य अपने खर्च पर किया जायेगा ।

10. लाईसेंसधारी द्वारा लाईसेंस अवधि में किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा एवं असावधानी के कारण हुये क्षति की भरवाई एक सामान्य समय सीमा के अन्दर अपने खर्च पर किया जायेगा अन्यथा इस कार्य को निगम द्वारा किया जायेगा एवं किय गये खर्च की प्रतिपूर्त्ति लाईसेंसधारी से 10% प्रतिशत सूद के साथ की जायेगी । इस प्राकृतिक आपदा में बचाव हेतु लाईसेंसधारी द्वारा बीमा कराया जा सकता है, जिसके प्रीमियम की राशि उन्हें स्वयं वहन करनी होगी ।

11. लाईसेंसधारी द्वारा आवंटित रेस्तराँ का पूर्ण या आंशिक भाग को सबलेट नहीं किया जा सकता है ।

12. प्रबंध निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को लाईसेंसधारी द्वारा चलाये जा रहे सम्पदा आदि के निरीक्षण का अधिकार होगा ।

13. लाईसेंसधारी द्वारा आवंटित रेस्तराँ में सफाई–स्वच्छता आदि का ध्यान रखा जायेगा एवं लाईसेंसधारी द्वारा पर्यटकों की भावना के अनुरूप उच्च एवं उचित मूल्य खाद्य सामग्री इत्यादि सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी एवं पर्यटकों से नम्रमापूर्वक व्यवहार किया जायेगा । उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बासी एवं अन्य हाईजेनिक पाये जाने पर यथोचित कार्रवाई यथा लाईसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

14. स्थानीय निकाय द्वारा लगाये जा रहे होल्डिंग टैक्स का भुगतान निगम द्वारा की जायेगी एवं समानुपातिक राशि लाईसेंसधारी से प्राप्त कर ली जायेगी ।

15. विद्युत हेतु स्टैण्डवाई व्यवस्था जेनेरेटर आदि की व्यवस्था लाईसेंसधारी के द्वारा स्वयं अपने खर्च पर की जायेगी ।

16. लाईसेंसधारी के द्वारा किसी प्रकार का संवैधानिक भुगतान नही करने के कारण डिफॉल्टर होने पर लाईसेंसधारी द्वारा उक्त राशि का भुगतान कर दिया जायेगा एवं भुगतान की राशि को 30 दिनों के अंदर लाईसेंसधारी 10% प्रतिशत प्रतिमाह सूद के साथ लाईसेंसकर्त्ता लाईसेंस रद्द कर देगा ।

17. लाईसेंसधारी से किसी प्रकार का बकाया ''**बिहार एवं उड़ीसा**'' पब्लिक डिमाण्ड रिकॉवरी एक्ट के प्रावधानो के तहत् सर्टिफिकेट केस के माध्यम से वसूल करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा ।

18. लाईसेंसधारी के द्वारा लाईसेंस अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी अवस्था में आवंटित रेस्तराँ का संचालन नही किया जायेगा । निर्धारित अवधि के पश्चात् खाली किये जाने वाले अवधि तक पेनाल्टी के रूप में लाईसेंस फीस के 10 गुणा राशि लाईसेंसकर्त्ता को जमा कराना होगा ।

19. लाईसेंसधारी के द्वारा एकरारनामा के शर्त्तो के उल्लंघन के अवस्था में उनके द्वारा किसी प्रकार की जालसाजी एवं गलत सूचना के आधार पर प्राप्त किया गया रेस्तराँ का संचालन हेतु लाईसेंस अथवा पूर्व में किसी प्रकार के फौजदारी मुकदमें में सजायाफ्ता होने की जानकारी मिलने पर लाईसेंसधारी के द्वारा उनका लाईसेंस रद्द कर दिया जायेगा एवं जमा राशि जब्त कर ली जायेगी ।

20. लाईसेंसधारी द्वारा लाईसेंस के एकरारनामा से संबंधित सभी प्रकार के स्टाम्प ड्यूटी का खर्च वहन किया जायेगा ।

21. आवंटन प्रपत्र निर्गत होने के पश्चात् यदि समयानुसार सहमति पत्र जमा नही की जाती है तो आपके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी की राशि एवं अन्य जमा राशि स्वतः जब्त समझी जायेगी ।

22. आवंटन प्रपत्र निर्गत होने अथवा आवेदन पत्र स्वीकृत होने के पश्चात् यदि आवेदक Refuse करते है या कोई शर्त रखते है तो वह मान्य नही होगा और उनका लाईसेंस रद्द कर दिया जायेगा एंव अर्नेस्ट मनी की राशि एवं अन्य जमा राशि स्वतः जब्त समझी जायेगी ।

23. आपके द्वारा संबंधित सम्पदा के संचालन के निमित रखे गये कार्मिक निगम के कार्मिक नही कहलायेगे, आपकी यह जिम्मेवारी होगी कि अपने अधीनस्त रखे गये कर्मचारियों को श्रम कानून के अन्तर्गत निर्धारित अहर्तायें पूरा करेंगे एवं इसकी पूरी जवाबदेही आवेदक की ही होगी ।

श्रम कानून से संबंधित सभी नियमों एवं प्रावधानों का कठोरता से पालन आवंटी करेंगे । श्रम कानून से उठने वाले सभी प्रकार की जवाबदेही आवेदक की होगी ।

लिफाफा नं0– I प्रपत्र 'क' (अनुभव)

सोनपुर मेला–2017 के भोजन, नाश्ता, चाय आदि के आवंटन के लिये निविदा प्रपत्र

आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. ईकाई का नाम :– सोनपुर मेला – 2017 का कैटरिंग
(जिसके लिये आवेदन दिया जा रहा है)
2. आवेदक का नाम :–
(कम्पनी / फर्म / पार्टनरषिप फर्म / रजिस्टर्ड सोसाईटी / इंडिभिजुअलः संबंधित कागजात की प्रतिलिपि संलग्न करें)
3. पिता का नाम :–
4. वर्त्तमान एवं स्थाई पता :–
(दूरभाष सहित)
(कृपया आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. क्रेडेशियल्स :– आवेदन के साथ निम्नांकित अभिलेख / प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न की जानी है :–
    1. राज्यस्तरीय, राष्ट्रस्तरीय, स्थानीय स्तर पर की गई केटरिंग / रेस्टोरेंट सर्विस के अनुभव का विवरण (संबंधित कागजात जैसे–वर्क ऑर्डर, कार्य सम्पुष्टि प्रमाण पत्र, इत्यादि संलग्न करें)
    2. संबंधित पुलिस अधीक्षक (S.P.) / D.M. or S.D.O. से निर्गत प्रमाण पत्र ।
    3. आवेदक की आर्थिक सुदृढ़ता का मूल्यांकन हेतु बैंकर द्वारा निर्गत बैकर्स प्रमाण पत्र (Bank Solvency Certificate)
    4. Food License, Certificate की छायाप्रति (सिर्फ खाद्य पदार्थ बेचने वालो के लिए
    5. पैन नं0 की छायाप्रति ।
    6. Income Tax Return की छायाप्रति तीन वर्ष का ।
    7. आवासीय पता का प्रमाण पत्र यथा राशन कार्ड की छायाप्रति, चुनाव आयोग का निबंधन कार्ड की छायाप्रति या अन्य प्रमाण पत्र ।
    8. यदि आवेदक लीज / लाईसेंस पर, होटल / रेस्तराँ / रेस्ट हाउस / दुकान आदि का संचालन कर रहे हो तो लीजदाता / लाईसेंसदाता द्वारा निर्गत ''नो ड्युज प्रमाण पत्र यद्यतन लाईसेंस फीस की जमा रसीद ।
    9. अग्रधन की राशि की विवरणी : डी0डी0 नं0–............................... दिनांकः...............राशि.
    10. प्रपत्र की राशि की विवरणी : डी0डी0 नं0–.............................. दिनांकः...............राशि

आवेदक की अन्डरटेकिंग :–

- मेरे द्वारा टेण्डर नियमावली एवं अन्य नियम एवं शर्ते अच्छी तरह पढ़ने / समझने के उपरान्त यह आवेदन दिया जा रहा है । निगम द्वारा निर्धारित सभी नियमों / शर्तो के अनुसार आवंटित ईकाई की संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन देता हूँ ।
- मेरे द्वारा इस आवेदन में भरे सभी तथ्य / संलग्न अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है । निविदा में किसी भी स्तर पर इन्हें गलत पाये जाने पर निगम यथोचित आवश्यक कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगी ।

आवेदक का हस्ताक्षर

<u>लिफाफा नं0–।। प्रपत्र 'ख' (दर)</u>

1. आवेदक का नाम :–

2. पिता का नाम :–

3. वर्तमान पता :–
(दूरभाष संख्या सहित)

4. स्थाई पता :–
(दूरभाष संख्या सहित)

5. संलग्न निर्धारित मीनू :–

(i) स्टाफ ब्रेकफास्ट का दर :–
(ii) स्टाफ लन्च या डीनर का दर :–
(iii) पर्यटन विभाग/निगम के विशाष्ट अतिथियों के लिए लंच या डीनर निरामिष का दर :–
(iv) पर्यटन विभाग/निगम के विशिष्ट अतिथियों के लिए लंच या डीनर सामिष का दर :–
(v) विशिष्ट अतिथियों के लिए स्नैक्स/नास्ता :–
(vi) कॉफी विस्किट प्रति बोतल :–
(vii) मिनरल वाटर प्रति बोतल (एक लीटर) :–
(viii) चाय प्रति कप :–

<u>मीनू की प्रति संलग्न</u>

उपरोक्त मीनू पर निगम का आयस्वरूप निर्धारित दर में आवेदक के द्वारा कितना प्रतिषत कम कर दिया जा रहा है । (सभी मीनू पर समानरूप से लागू)

....%

आवेदक का नाम

तिथि :–

हस्ताक्षर